राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 5210/2022

सुनिता कुमारी —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर, राजस्थान।
3. उप निदेशक, आयुर्वेद विभाग, झुंझुनूं।
4. प्रभारी, चिकित्सा अधिकारी, राजकीय आयुर्वेद जिला अस्पताल झुंझुनूं।
5. नीलम लाखलाण, आयुर्वेद नर्स, वर्तमान पदस्थापन राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय, नृसिंहपुरी, सीकर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 06.10.2022
आदेश की दिनांक : 29.11.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री संजय महला, अभिभाषक

समक्षः– मातादीन शर्मा, सदस्य
एम.एस.काला, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित आधारों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में आयुर्वेद नर्स के पद पर राजकीय आयुर्वेद जिला औषधालय, झुन्झुनूं में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 27.09.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय, नृसिंहपुरी, सीकर निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 के स्थान पर किया गया तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 का स्थानान्तरण अपीलार्थी के स्थान पर किया गया। आलोच्य आदेश बिना किसी प्रशासनिक अत्यावश्यकता के ईर्ष्या एवं द्वेष की भावनावश निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 को समंजित करने के आशय से जारी किया गया है, जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डॉ॰ अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य में प्रतिपादित अवधारणा के विपरीत है। उल्लेखनीय है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 की नियुक्ति 4 माह पूर्व ही हुई है, वह परिवीक्षाकाल में है, को अनुचित लाभ देने की दृष्टि से उक्त स्थानान्तरण किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 27.09.2022 में प्रभावित कार्मिकों को यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा अंकित

किया गया है, जो कि कार्मिकों के समक्ष अंकित नहीं किया गया है, इससे सिद्ध होता है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर किया गया है, जबकि अपीलार्थी द्वारा स्थानान्तरण हेतु कोई अनुरोध नहीं किया गया। अपीलार्थी के सास–ससुर क्रमशः 80 एवं 75 वर्षीय वृद्ध है, जो वृद्धावस्था की बीमारियों से पीड़ित है। अपीलार्थी के दो बच्चे सीकर में ही अध्ययनरत् है। उनकी देखभाल की जिम्मेदारी अपीलार्थी की ही है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण 130 कि.मी. दूर बिना प्रशासनिक आवश्यकता के किया गया है, जो निरस्त योग्य है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 27.09.2022 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को निरंतर राजकीय आयुर्वेद जिला औषधालय, झुन्झुनूं में कार्य करने दिया जावे तथा वेतन एवं समस्त पारिणामिक लाभ दिए जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 27.09.2022 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अनुतोष चाहा है। अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन स्थल पर सन् 2018 से कार्यरत है। स्थानान्तरण आदेश में स्थानान्तरित कार्मिकों को टीए/डीए देय होना अंकित किया गया है जिसका स्पष्ट अभिप्राय है कि अपीलार्थी को भी टीए/डीए देय होगा। स्थानान्तरण आदेश सक्षम अधिकारी के द्वारा बिना किसी दुर्भावना के किया गया है तथा अपीलार्थी का स्थानान्तरण भी निकटवर्ती जिले में ही किया गया है। अपीलार्थी के स्थान पर प्रत्यर्थी संख्या 5 को स्थानान्तरित किये जाने मात्र से समंजन (Accommodation) की स्थिति नहीं बनती है। अतः अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक.....को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(एम.एस.काला)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य